संख्या 7-1/2012-एस एंड आई

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक मार्च, 2012

सेवा में

सचिव,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

.....सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

विषय: रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहँ और जौ की एक-समान विनिर्दिष्टियां

महोदय,

रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु गेहूँ और जौ की सरकार द्वारा निर्णित एकसमान विनिर्दिष्टियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि सभी खरीद एजेन्सियों द्वारा गेहूँ और जौ की खरीदारी कड़ाई से इन विनिर्दिष्टियों के अनुसार की जाए। यह भी अनुरोध है कि इन एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टाक की अस्वीकृति से बचा जा सके। किसानों को यह परामर्श भी दिया जाए कि वे केवल शुष्क और साफ अनाज ही लायें। 12% से अधिक नमी और जन्तु बाधा ग्रस्त स्टाक की खरीदारी को हतोत्साहित किया जाए।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(बी. सी. जोशी)

उपायुक्त (एस एंड आर)

दूरभाष 23070474

प्रति प्रेषित:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
4. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद) , भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
5. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम।
6. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली।
7. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के वरिष्ठ निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (नीति एवं भारतीय खाद्य निगम)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एस आर ए और ईओपी)/संयुक्त सचिव (बी.पी. एंड पी.डी.)/संयुक्त सचिव (संग्रह) के प्रधान निजी सचिव।
9. निदेशक (नीति)/निदेशक (भा.खा.नि.)/ निदेशक (पी.डी.)/निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (भं. एवं अनु.)/उपायुक्त (भं. एवं अनु.)।
10. सभी भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय
11. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)।
12. उप निदेशक (एस एण्ड आर)/उप निदेशक (एस)/उप निदेशक (क्यूसी)/सहायक निदेशक (लैब)/ सहायक निदेशक (क्यूसीसी)।
13. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना को मंत्रालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित करें।

(डा. एस. सी. बंसल)
उप निदेशक (एस एण्ड आर)
दूरभाष : 23383915

रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

गेहूं निम्नानुसार होगा:-

(क) जिसमें ट्राइटिकम वल्गर, टी. कॉम्पैक्टम, टी. स्फैरिओकोकोम, टी. डयूरम, टी. ऐस्टीवियुम और टी. डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों (खाद्य अपमिश्रम निवारण नियम) के अनुरूप हो।

गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिकतम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुड़े और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

टिप्पणी:

1. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाति) वजन के अनुसार क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।

3. भौतिक विश्लेषण के दौरान छिलके सहित दानों को खराब खाद्यान्न नहीं गिना जाएगा और छिलकों को निकाल दिया जाएगा और उन्हें जैविक विजातीय तत्व माना जाएगा।
4. क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर एरगोट प्रभावित दाने 0.05% से अधिक नहीं होंगे।
5. स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 1 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।
6. गणना द्वारा निश्चित किए गए घुने हुए दानों के लिए निम्नलिखित रूप से कीमत में कटौती की जाएगी, जो अन्य कटौतियों, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

    (i) मौसम के प्रारम्भ से अगस्त के अंत तक कटौती प्रत्येक 1% या उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।

    (ii) 1 सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

    (iii) 1 नवम्बर से मौसम के अन्त तक 2% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

    (iv) जिस स्टाक में 3% से अधिक घुन लगे दाने होंगे उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

<u>विश्लेषण की पद्धति</u>

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हें गणना पद्धति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार ।

<u>अपवर्तकों की परिभाषा</u>

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

रबी विपणन मौसम 2012-13 के लिए जौ की एक-समान विनिर्दिष्टियां

जौ निम्नानुसार होगा:-

(क) होर्डियम बल्गर के परिपक्व और सूखे हुए दाने हों।

(ख) इनका आकार, बनावट और रंग एक समान हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ड़) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ, कीटनाशी तथा कोई खराब और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों (खाद्य अपमिश्रम निवारण नियम) के अनुरूप हो।

जौ की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिकतम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने और लगे हुए दाने%	अपरिपक्व और सिकुड़े दाने %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

टिप्पणी:

1. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.5% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाति) वजन के अनुसार क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
2 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. गणना द्वारा निश्चित किए गए घुने हुए दानों के लिए निम्नलिखित रूप से कीमत में कटौती की जाएगी, जो अन्य कटौतियों, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी।

(i) मौसम के प्रारम्भ से अगस्त के अंत तक कटौती प्रत्येक 1% या उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।

(ii) 1 सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

(iii) 1 नवम्बर से मौसम के अन्त तक 2% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उसके ऊपर प्रत्येक 1% अथवा उसके अंश हेतु 1 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

(iv) जिस स्टाक में 3% से अधिक घुन लगे दाने होंगे उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. स्टॉक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 1 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।

<u>विश्लेषण की पद्धति</u>

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हें गणना पद्धति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार ।

<u>अपवर्तकों की परिभाषा</u>

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के लिए धान, चावल और मोटे अनाजों की एक-समान विनिर्दिष्टियां

संख्या 8-9/2009-एस एंड आई
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 11 अगस्त, 2009

सेवा में

सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
.....सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन)

विषय: खरीफ विपण मौसम 2009-10 के लिए धान, चावल और मोटे अनाजों की एक-समान विनिर्दिष्टियां

महोदय,

मुझे खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु धान, चावल और मोटे अनाजों की एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है।

आपसे अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टाक की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान धान, चावल और मोटे अनाजों की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(डा. अशोक कुमार)
उपायुक्त (एस एंड आर)
दूरभाष 23387622

प्रति प्रेषित:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
3. महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
4. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद) , भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
5. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम
6. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
7. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
8. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं भारतीय खाद्य निगम)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एस आर ए और ईओपी)/संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)/संयुक्त सचिव (संग्रह) के निजी सचिव
9. निदेशक (नीति)/निदेशक (भा.खा.नि.)/ निदेशक (पीडी)/निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (भं. एवं अनु.)/उपायुक्त (भं. एवं अनु.),
10. सभी भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय
11. अवर सचिव (बीपी-1)/अवर सचिव (बीपी-2)/अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)
12. उप निदेशक (एस)/उप निदेशक (क्यूसी)/सहायक निदेशक (लैब)/सहायक निदेशक (एस)/सहायक निदेशक (क्यूसी-1)/ सहायक निदेशक (क्यूसी-2)/ सहायक निदेशक (क्यूसी-3)
13. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना को मंत्रालय की बेवसाइट पर डाल दें।
14. मुख्य निदेशक (वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा)/वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए नोडल अधिकारी

धान की सभी किस्मों के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

धान ठोस, बिक्री योग्य, सूखी, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक-समान होगी और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी) एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण से मुक्त होगी।

धान ग्रेड-ए और साधारण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	4.0
3	कच्चे, सिकुड़े और कुम्हलाए हुए दाने	3.0
4	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण	7.0
5	नमी	17.0

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. "कार्बनिक विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

ग्रेड 'ए' और साधारण श्रेणी के चावल के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

चावल ठोस, बिक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक-समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण, किसी भी रूप में आर्जीमोन मेक्सिकाना और लेथिरस सेटिवस (खेसरी) अथवा रजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के भी अनुरूप होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम सं.	अपवर्तन		अधिकतम सीमा (प्रतिशत)	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
			ग्रेड 'ए'	साधारण
1	टोटा*	अरवा	25.0	25.0
		सेला	16.0	16.0
2	विजातीय तत्व**			
		अरवा/सेला	0.5	0.5
3	क्षतिग्रस्त दाने©/मामूली क्षतिग्रस्त दाने			
		अरवा	3.0	3.0
		सेला	4.0	4.0
4	बदरंग दाने			
		अरवा	3.0	3.0
		सेला	5.0	5.0
5	चाकी दाने			
		अरवा	5.0	5.0
6	लाल दाने			
		अरवा/सेला	3.0	3.0
7	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण			
		अरवा/सेला	6.0	-
8	चोकर साहित दाने			
		अरवा/सेला	12.0	12.0

9	नमी तत्व ®			
		अरवा/सेला	14.0	14.0

* 1 प्रतिशत छोटे टोटे सहित

** भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीव-जनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

© पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित

® मूल्य कटौती के साथ 15 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक नमी तत्व वाले चावल (अरवा और सेला, दोनों) की खरीद की जा सकती है। 14 प्रतिशत तक कोई मूल्य कटौती नहीं होगी। 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच पूर्ण कीमत की दर पर मूल्य कटौती लागू होगी।

चावल की ग्रेड-ए और साधारण किस्मों की विनिर्दिष्टियों के लिए लागू नोट

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण भारतीय मानक ब्यूरो की समय-समय पर यथासंशोधित खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333 (भाग-1)1996 और आईएस-4333 (भाग-2)2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली 2813-1995 में किए गए उल्लेख के अनुसार किया जाना है। चोकरयुक्त दाने साबुत अथवा टूटे चावल के वे दाने होते हैं, जिनके सतही क्षेत्र का एक-चौथाई से अधिक चोकर से ढका होता है और इनका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

विश्लेषण की विधि-पैट्री डिश (80 x 70 मिली0) में 5 ग्राम चावल (साबुत चावल और टोटा) लें। मैथीलिन के नीले घोल (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) के लगभग 20 मि0ली0 में इन दानों का डुबोएं और लगभग 1 मिनट रहने दें। मैथीलिन के नीले घोल को निथारकर निकाल दें। लगभग 20 मि0ली0 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (आसवित जल में आयतन द्वारा 0.05 प्रतिशत का घोल) के साथ घुमाकर धोएं। पानी में घुमाकर धाएं और नीले रंजित दानों पर लगभग 20 मी0ली0 मैटानिल येलो घोल (आसवित जल में भार द्वारा 0.05 प्रतिशत) को डालें और लगभग 1 मिनट रहने दें। एफल्यूएंट को निथारकर निकाल दें और 2 बार ताजे पानी से धोएं। रंजित दानों को ताजे पानी में रखें और चोकरयुक्त दानों की गणना करें। विश्लेषण किए जा रहे नमूने के 5 ग्राम में दानों

की कुल संख्या गिनें। 3 टूटे दानों की गणना एक साबुत दाने की रूप में की जाती है।

गणना-

चोकरयुक्त दानों का प्रतिशत = एन x 100/डब्ल्यू

जिसमें

एन = नमूने के 5 ग्राम में चोकरयुक्त दानों की कुल संख्या

डब्ल्यू = नमूने के 5 ग्राम में दानों की कुल संख्या

2. नमूना लेने की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की अनाजों और दालों का नमूना लेने की विधि संख्या आईएस-14818-2000 में दी गई विधि के अनुसार किया जाना है।

3. पूरे साबुत दाने के आकार के 8वें हिस्से से छोटा टोटा कार्बनिक विजातीय तत्व के रूप में समझा जाएगा। टोटे की औसत लम्बाई के आकार का निर्धारण करने के लिए चावल के मूल श्रेणी की लम्बाई को हिसाब में लेना चाहिए।

4. किसी भी लाट में अकार्बनिक विजातीय तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं, यदि यह अधिक हो तो स्टाक की सफाई की जानी चाहिए और इसे सीमा के अंदर लाना चाहिए। चावल के जिन दानों अथवा दानों के टुकड़ों की सतह पर मिट्टी जमी हो उन्हें अकार्बनिक विजातीय तत्व समझा जाएगा।

5. यदि दाब की सेलीकरण तकनीक द्वारा सेला चावल तैयार किया गया हो तो यह सुनिश्चत किया जाएगा कि सेलीकरण की सही प्रक्रिया अपनाई गई है अर्थात लागू किया गया दाब, समय जिस तक दाब लागू किया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन और मिलिंग से पूर्व शुष्कन उचित रूप से किया गया है ताकि सेला चावल का रंग और पकाने की अवधि सही है तथा दाने पपड़ी से मुक्त हैं।

ज्वार के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

ज्वार शुष्क और सोरगम वल्गरे के पक्के दाने होंगे। इसका आकार, रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

ज्वार मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	3.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग दानें	1.0
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	4.0
6	घुने दाने	1.0
7	नमी	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना

होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. कवचयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान कवच निकाल दिए जाएंगे और कार्बनिक विजातीय तत्व माने जाएंगे।

बाजरा के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

बाजरा शुष्क और पेन्नीसेटम टाइफाइडिस के पक्के दाने होंगे। इसका आकार, रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

बाजरा मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	3.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग दानें	2.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	4.0
6	घुने दाने	1.0
7	नमी	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना

होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. कवचयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान कवच निकाल दिए जाएंगे और कार्बनिक विजातीय तत्व माने जाएंगे।

5. क्षतिग्रस्त दानों के लिए 1.5 प्रतिशत की समग्र सीमा में, एरगटी दाने 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

मक्का के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

मक्का शुष्क और जिया मेज के पक्के दाने होंगे। इसका रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

मक्का मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	2.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग और लगे हुए दानें	4.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	3.0
6	घुने दाने	1.0
7	नमी	14.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना

होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. मक्का का छोटा आकार, यदि वह अन्यथा पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसे सिकुड़ा हुआ और अपरिपक्व अनाज नहीं समझा जाना चाहिए।

रागी के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2009-10)

रागी शुष्क और ईलूसिन कोराकाना के पक्के दाने होंगे। इसका आकार, रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

रागी मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी), रंजक तत्वों, , एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व*	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	1.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.0
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दाने	2.0
5	नमी	12.0

* भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।

2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना होगा।

3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. कवचयुक्त दानों को भोथरा दाना नहीं समझा जाएगा। भौतिक विश्लेषण के दौरान कवच निकाल दिए जाएंगे और कार्बनिक विजातीय तत्व माने जाएंगे।

रबी विपणन मौसम 2009-10 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

संख्या 7-1/2009-एस एंड आई
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 फरवरी, 2009

सेवा में

सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
.....सरकार

विषय: रबी विपण मौसम 2009-10 के लिए गेहूं और जौ हेतु की एक-समान विनिर्दिष्टियां

महोदय,

इस पत्र के साथ रबी विपणन मौसम 2009-10 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और जौ की की खरीद के लिए सरकार द्वारा निश्चित की गई एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी वसूली एजेंसियों द्वारा गेहूं और जौ के स्टाक की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही हो। यह भी अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टाक की अस्वीकृति से बचा जा सके। किसानों को भी यह सलाह दी जाए कि वे केवल सूखे और साफ स्टाक की पेशकश करें। 12% से अधिक नमी तत्व वाले और जन्तुबाधा वाले स्टाक की खरीद को प्रोत्साहित न किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(डा. अशोक कुमार)
उपायुक्त (एस एंड आर)
दूरभाष 23387622

प्रति प्रेषित:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
3. महा प्रबंधक (गुण नियंत्रण), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
4. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद) , भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
5. सभी आंचलिक कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम
6. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
7. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
8. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं भारतीय खाद्य निगम)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एस आर ए और ईओपी)/संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)/संयुक्त सचिव (संग्रह) के निजी सचिव
9. निदेशक (नीति)/निदेशक (भा.खा.नि.)/ निदेशक (पीडी)/निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (भं. एवं अनु.)/उपायुक्त (भं. एवं अनु.),
10. सभी भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय
11. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)
12. उपायुक्त (भंडा. एवं अनु;)/ उप निदेशक (एस)/उप निदेशक (क्यूसी)/सहायक निदेशक (लैब)/सहायक निदेशक (एस)/सहायक निदेशक (क्यूसी-1)/ सहायक निदेशक (क्यूसी-2)/ सहायक निदेशक (क्यूसी-3)
13. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना को मंत्रालय की बेवसाइट पर डाल दें।

(बी0सी0 जोशी)
उप निदेशक (भंडा. तथा अनु.)